



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट— <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. — 0755-2462136

No: 2155 SEIAA/2022

Date: 25/11/22

प्रति,

Shri B P Kaistha,
G.M. M/s Glowide Infrastructure Pvt. Ltd,
"Artefact Towers", 54/3, Chhatrapati Square,
Wardha Road, Dist. Nagpur, Mah. - 440015

विषय: प्रकरण क्र. 7194/2020 - Shri B P Kaistha, G.M. M/s Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, "Artefact Towers", 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Dist. Nagpur, Mah. - 440015 Prior Environment Clearance for Expansion of Manganese Ore Mine in an area of 6.159 ha. (3000 TPA to 12821 TPA) (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102), Village - Jarah Mohgaon, Tehsil - Katangi, Dist. Balaghat (MP).

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 755 वी बैठक दिनांक 28.10.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 597वी बैठक दिनांक 06.10.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

".....समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।"

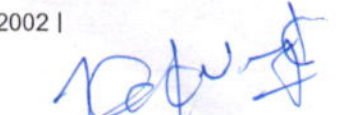
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 597वी बैठक दिनांक 06.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाय

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2156 /SEIAA/2022 दिनांक — 25/11/22
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली — 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल — 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल — 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी